…यालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

…ठासीन अधिकारी :—सुश्री संजना जोशी आरएएस

मुकदमा संख्या :— 049 / 2023

1. मांगीसिंह उर्फ देवीसिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत साकिन वार्ड नं. 11, अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। —— वादी

—:बनाम:—

1. गोमती पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. चुन्नीसिंह पुत्र श्योदानसिंह जाति राजपूत साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. दीपक पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. प्रियंका पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. महेन्द्र पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. मानसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. रणजीतकौर पत्नी बलविन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. श्रवणसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. सुरेश कुमार पुत्र फूसाराम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

—:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री अशोक गुडेसर अधिवक्ता —— वादी
2. श्री पवन ढ़ेनवाल व आत्माराम गुडेसर अधिवक्ता —— प्रतिवादी सं. 1 ता 9

—:: निर्णय :—

दिनांक —15/09/23

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के खाता सं. 82/73 के प.नं. 35/268(64) किला नं. 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 तथा प.नं. 35/269 (71) के किला नं. 1 ता 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7 ता 25 दोनों पत्थरों की कुल 8.855 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का 369/8855 हिस्सा है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

चक 16 एमओडी में वादी की भूमि जमाबंदी में नाम मांगीसिंह है जबकि वादी का सही नाम मुताबिक आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड में देवीसिंह पुत्र विजयसिंह है व वादी का असली नाम देवीसिंह है जिसके ताहिद में सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत अयालकी, रा.उ.प्रा.वि. 13 एसटीबी, अध्यापक लालचन्द व रा.बा.उ.प्रा.वि. पीलीबंगा, अध्यापक सतीश सहारण द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

वादी को बैंक से वित्तीय सहायता लेने व अन्य कृषि कार्य हेतू परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नाम दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है।

वादी अपना नाम मांगीसिंह की जगह सही नाम देवीसिंह पुत्र विजयसिह ...वाने के लिए प्रतिवादी से मिला और नाम दुरूस्त करने का आग्रह किया तो प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया व कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप संबंधित न्यायालय से चाराजोही करो व स्पष्ट इन्कार हो गया। यही वाद विनाय मुखास्मत है।

वादी को चक 16 एमओडी के खाता सं. 82/73 के प.नं. 35/268(64) तथा प.न. 35/269(71) दोनों पत्थरों की कुल 8.855 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का 369/8855 हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी में मांगीसिंह दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम मुताबिक राशनकार्ड, जनाधार कार्ड में देवीसिंह पुत्र विजयसिह दर्ज है। वादी अपनी उक्त वर्णित जमाबंदी में अपना सही नाम देवीसिंह पुत्र विजयसिंह दुरूस्त करने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी का सही नाम देवीसिंह पुत्र विजयसिंह की घोषणा कर उक्त जमाबंदी में नाम सही करने की घोषणा की जावे।

वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है।

प्रतिवादी सं. 10 तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को भू-धारक होने के नाते पक्षकार बनाया गया है।

वादपत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर निम्नलिखित घोषणा फरमायी जावे –

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वादी का सही नाम मुताबिक राशनकार्ड, जनाधार कार्ड में देवीसिंह पुत्र विजयसिंह दर्ज है। वादी अपनी उक्त वर्णित जमाबंदी में अपना सही नाम देवीसिंह पुत्र विजयसिंह दुरूस्त करने की घोषणा की जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा इकबाल दावा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। प्रस्तुत इकबाल दावा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। इकबाल दावा शामिल मिसल किया गया। राजपैरोकार की ओर से जवाब स्टेट दिनांक 08.08.2023 को प्राप्त हुआ। जिसमें राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया गया व पत्र क्रमांक रीडर/2023/1356 दिनांक 16.06.2023 को पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को मौका की जांच करवाकर अभिशंषा सहित रिपोर्ट हेतु भेजा गया जिस पर दिनांक 04.08.2023 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस में वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का नाम आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड राशन कार्ड में देवीसिंह दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी मे वादी का नाम मांगीसिंह दर्ज है व हल्का पटवारी की रिपोट में भी वादी का सही नाम देवीसिंह होना सिद्ध होता है व दो राज्य कर्मचारियों की गवाही व सरपंच ग्राम पंचायत अयालकी की तस्दीक रिपोर्ट से भी वादी का नाम देवीसिंह होना सिद्ध होता है व प्रतिवादीगण द्वारा अपने इकबाल दावा में वादी का नाम देवीसिंह होना सिद्ध होता है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की पैतृक खातेदारी भूमि है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा व इकबाल दावा व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 एमओडी के खाता सं. 82/73 के प.नं. 35/268(64) किला नं. 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 तथा प.नं. 35/269(71) के किला नं. 1 ता 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

6/1, 6/2, 6/3, 7 ता 25 दोनों पत्थरों की कुल 8.855 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज ...स्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का 369/8855 हिस्सा है। जिसमें वादी का नाम मांगीसिंह दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड व राशन कार्ड में वादी का नाम देवीसिंह दर्ज है। दो राजकीय कर्मचारियों की गवाही व सरपंच ग्राम पंचायत अयालकी की तस्दीक रिपोर्ट व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम मांगीसिंह के स्थान पर देवीसिंह घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 15/09/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sanjana 15/9/23

(संजना जोशी)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा